अतिमहत्वपूर्ण / विशेषध्यानाकर्षण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध,
समस्त डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाऐं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2026 / 6990 **लखनऊः दिनांकः** 22-01-2026

विषयः पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं द्वारा सत्र 2026–27 में यू–राईज पोर्टल के माध्यम से संस्था क्लोजर हेतु आवेदन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 04 / 2026 / आई / 1196159 / 2026 / 16–3099 / 96 / 2025, दिनांकः 06 जनवरी, 2026 **(संलग्नक 01)** का सन्दर्भ ग्रहण करना सुनिश्चित करें। जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने एवं पूर्व से संचालित संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्रकिया का निर्धारण किया गया है।

उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थानुसार सत्र 2026–27 में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान **संस्था क्लोजर** हेतु यू–राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांकः 30–04–2026 की रात्रि 11:59 बजे तक कर सकते हैं। इस संबंध में यू–राईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन / ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जो संस्था क्लोजर हेतु इच्छुक है, वे अपने संस्था का आवेदन क्लोजर हेतु यू–राईज पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / 2026 / 6991-96 **तद्दिनांकः** 22-01-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन / अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपर मुख्य सचिव / अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र।

5. नोडल प्रधानाचार्य, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्था को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि पत्र परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

ई-मेल
शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण
संख्या-04/2026/आई/1196159/2026/16-3099/96/2025

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2026**

विषयः- प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/2024/16-3099/156/ 2019, दिनांक 05.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओं को सम्बद्धता की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 05.01.2024 द्वारा सभी नियामक संस्थाओं AICTE/PCI/COA से आच्छादित नई इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर संस्थाओं के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / सहमति (Consent of affiliation) व सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने की समेकित प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन्स के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर संबंधी आवेदनों पर विचार किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पृथक रूप से एक पारदर्शी शुचितापूर्ण, त्वरित एवं समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 यथा संशोधित तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 व फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक 2025-26 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-2/2024/आई/465018/ 2024/16-3099/ 156/2019 दिनांक 05.01.2024 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अवक्रमित करते हुए डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, पूर्व से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संचालित संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

डिप्लोमा स्तरीय नई फार्मेसी संस्थाओं को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने, पूर्व से संचालित संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि कमी एवं संस्था क्लोजर इत्यादि संबंधी प्रक्रिया

(1) डिप्लोमा स्तरीय नई संस्थाओं को खोले जाने हेतु फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली (PCI) के समक्ष आवेदन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य/प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदनकर्ता द्वारा नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्था खोले जाने हेतु फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के समक्ष सीधे आवेदन किया जायेगा।

(2) फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थान खोले जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से प्राविधिक शिक्षा परिषद के समक्ष आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। डिप्लोमा स्तरीय नई संस्थाओं की सम्बद्धता, संस्था का नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर तथा स्थान परिवर्तन इत्यादि हेतु समस्त कार्यवाही प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जाएगी।

(3) प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने की समस्त कार्यवाही आनलाइन की जायेगी, भौतिक रुप से न तो कोई आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार निर्गत किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्रासंगिक शैक्षणिक सत्र (Relevant Academic Session) के लिए प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(5) आवेदनकर्ता द्वारा सम्बद्धता हेतु यू-राइज पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का आनलाइन भुगतान करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदनकर्ता के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निम्न अभिलेख होने चाहिए जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय यूराईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगाः-

i. नियामक संस्था (Pharmacy Council of India) का अनुमोदन पत्र।

ii. उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज (भूमि आवेदक संस्था/ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम पंजीकृत हो अथवा न्यूनतम 30 वर्षों हेतु लीज पर होनी चाहिए)

iii. बिल्डिंग प्लान (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

http://shasanadesh.up.gov.in

iv. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (Building Completion Certificate)/भवन अधिभोग प्रमाण पत्र (Building Occupancy Certificate) Approved by Competent Authority (यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रमाण पत्र अलग-अलग प्रदान किये जाते हैं तो दोनों प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें अन्षथा भवन अधिभोग प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा।) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित।

v. आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारुप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारुप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसायटी /कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा। "शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न **(संलग्नक-01)**

(6) प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदनों का परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकार किये गये आवेदनों को यू-राईज पोर्टल के माध्यम से 03 दिवस में संबंधित जिलाधिकारी को समयबद्ध रुप से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(7) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से आवेदक संस्था की भूमि एवं भूमि संबंधी अभिलेख लीज डीड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित भवन, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित संस्थान की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जायेगी।

(8) आवेदक संस्था का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करने के. उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित आख्या एवं वीडियो/फोटोग्राफ्स यू-राईज पोर्टल पर अपलोड कराये जायेगें।

(9) जिलाधिकारी द्वारा यू-राईज पोर्टल पर अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधी आख्याओं, वीडियो/फोटोग्राफ्स एवं दिए गए मन्तव्य के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 03 दिवस में आनलाइन सम्बद्धता पत्र यू-राईज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(10) सम्बद्धता (Affiliation) हेतु निर्धारित निम्नवत् समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

क्र०सं०	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि
1-	यूराईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की तिथि	01 जनवरी से 30 अप्रैल
2-	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	15 मई तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3-	परिषद द्वारा सम्बद्धता हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता जारी करने की तिथि	20 मई तक

(11) डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थाओं में शिक्षण/प्रशिक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निम्नवत् शर्तों के अधीन सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगाः-

(i) नए डी० फार्मा संस्थानों को सामान्यतः 03 वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(ii) National Assessment and Accreditation Council (NAAC), National Institutional Ranking Framework (NIRF), National Board of Accreditation (NBA) एवं State Institution Ranking Framework (SIRF) उच्च रैंकिंग प्राप्त संस्थाओं को 05 वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगा।

(iii) State Institution Ranking Framework (SIRF) में 03 बार न्यूनतम श्रेणी प्राप्त होने पर 4th year में पुनः सम्बद्धता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद इसका विस्तृत अध्ययन करते हुये संस्थान के कोर्स की सीटों में कटौती करने अथवा संस्थान के सम्बद्धता विस्तार को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेगी।

(iv) यदि नियामक संस्था यथा-पी०सी०आई० द्वारा किसी संस्थान को अनुमोदन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित शैक्षिक सत्र/सत्रों हेतु परिषद का सम्बद्धता विस्तार स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(v) यू-राईज पोर्टल के माध्यम से सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्बद्धता विस्तार निम्न शर्तों के साथ ऑनलाइन जारी किया जायेगाः-

(क) किसी भी संस्था में यदि 03 वर्षों तक एडमिशन 60% से कम हो तो संबंधित संस्था को चौथे वर्ष सम्बद्धता विस्तार हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद यथास्थिति संस्थान की सीटों में कटौती करने अथवा सम्बद्धता विस्तार को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेगी।

(ख) यदि किसी सम्बद्ध संस्था के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो संस्था को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त फार्मेसी संस्थाओं के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु शासन स्तर पर सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयोपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद किसी भी संस्था का औचक निरीक्षण/जाँच सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/ किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करायी जा सकती है।

(ग) फार्मेसी संस्थान के संचालन में किसी भी स्तर पर और किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध कार्यो की किसी भी स्तर पर शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायतों का अंतिम निस्तारण प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कृपया डिप्लोमा सेक्टर की नई फार्मेसी संस्थानों को सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया एवं समय-सारणी तथा एवं सम्बद्धता विस्तार हेतु प्रदत्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव।

<u>**संख्या व दिनांक तदैव-**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नई डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्था खोलने के लिए के किए गए आवेदनों पर निर्धारित मानक पूर्ण होने के पश्चात् ही अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करें।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
12. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शपथपत्र प्रारुप
(रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर)

नवीन डिप्लोमा संस्थाओं को परिषद से Affiliation निर्गत किये जाने के संबंध में सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारुपः-

हम--------------- (नाम अध्यक्ष) ---------------- एवं ------------- (नाम सचिव) ----------- क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव ----------------- (सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पता) ---------------------- शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट -- द्वारा संचालित संस्था --- पता ---------------------------- है।
2. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या -----------एवं-------------------रकबा (कुल रकबा----------------एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक ----------------------------- द्वारा पारित किया गया है।
3. उपरोक्त संस्था शहरी / ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
5. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था का ही संचालन किया जायेगा।
6. यह कि, मेरे द्वारा परिषद द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार वांछित अभिलेख संलग्न किये गये हैं।
7. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा संलग्न अभिलेख एवं प्रविष्टि की गयी सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव	**ह0 अध्यक्ष**
(मुहर एवं दिनांक सहित)	**(मुहर एवं दिनांक सहित)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in